

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

--: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2024


क्रमांक एफ 7-9/2024/34-2 :: श्री जगदीश कुमार, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- जगदलपुर द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किये जाने के कारण श्री जगदीश कुमार का उक्त आचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का घोटक है।

2/ अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री जगदीश कुमार, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- जगदलपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल- कोण्डागांव नियत किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(टी.आर. भतपहरी) 19.07.24
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7-9/2024/34-1
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2024

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, लोक स्वा0 यां0 विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यां0 विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छ0ग0।
4. कलेक्टर, जिला - बस्तर छ0ग0।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र -जगदलपुर., छ0ग0।
6. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल - जगदलपुर/कोण्डागांव, छ0ग0।
7. श्री जगदीश कुमार,, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड - जगदलपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आर्डर बुक।


अवर सचिव 19.7.24
छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

—: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2024


क्रमांक एफ 7-9 / 2024 / 34-2 :: श्री यू.के. राठिया, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- बिलासपुर द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किये जाने के कारण श्री यू.के. राठिया का उक्त आचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का घोटक है।

2/ अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यू.के. राठिया, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- बिलासपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल- रायपुर नियत किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(टी.आर. भतपहरी) 19.07.24
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7-9 / 2024 / 34-1
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2024

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, लोक स्वा0 यां0 विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यां0 विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छ0ग0।
4. कलेक्टर, जिला - बिलासपुर, छ0ग0।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र - बिलासपुर, छ0ग0।
6. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल - बिलासपुर/रायपुर छ0ग0।
7. श्री यू.के. राठिया, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड - बिलासपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आर्डर बुक।


अवर सचिव 19.07.24
छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

—: आदेश :—

नवा रायपुर, दिनांक 19 / 07 / 2024


क्रमांक एफ 7-9 / 2024 / 34-2 :: श्री चंद्रबदन सिंह, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड— बैकुण्ठपुर द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किये जाने के कारण श्री चंद्रबदन सिंह, का उक्त आचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का घोटक है।

2/ अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री चंद्रबदन सिंह, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड— बैकुण्ठपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल— सरगुजा नियत किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(टी.आर. भतपहरी) 19.07.24
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7-9 / 2024 / 34-2

नवा रायपुर, दिनांक 19 / 07 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, लोक स्वा0 यां0 विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यां0 विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छ0ग0।
4. कलेक्टर, जिला — कोरिया, छ0ग0।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र—बिलासपुर, छ0ग0।
6. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल — सरगुजा, छ0ग0।
7. श्री चंद्रबदन सिंह, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड — बैकुण्ठपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आर्डर बुक।


अवर सचिव 19.07.24
छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

—: आदेश :—

नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2024


क्रमांक एफ 7-9/2024/34-2 :: श्री आर.के. धनंजय, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- बेमेतरा द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किये जाने के कारण श्री आर.के. धनंजय, का उक्त आचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का घोटक है।

2/ अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री आर.के. धनंजय, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- बेमेतरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल- दुर्ग नियत किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(टी.आर. भतपहरी)
अवर सचिव 19.07.24

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7-9/2024/34-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2024

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, लोक स्वा0 यां0 विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
3. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यां0 विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छ0ग0।
4. कलेक्टर, जिला - बेमेतरा, छ0ग0।
5. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र - रायपुर छ0ग0।
6. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल - दुर्ग, छ0ग0।
7. श्री आर.के. धनंजय, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड - बेमेतरा।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आर्डर बुक।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन 19.07.24
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

—:: आदेश ::—

नवा रायपुर, दिनांक 19 / 07 / 2024


क्रमांक एफ 7-9 / 2024 / 34-2 :: श्री एस.पी. मंडावी, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड— अंबिकापुर द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किये जाने के कारण श्री एस.पी. मंडावी, का उक्त आचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का घोटक है।

2/ अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री एस.पी. मंडावी, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड— अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल— बिलासपुर नियत किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(टी.आर. भतपहरी)
अवर सचिव 19-07-24

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7-9 / 2024 / 34-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 19 / 07 / 2024

- 1 विशेष सहायक, मान. मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
- 2 सचिव, छ0ग0 शासन, लोक स्वा0 यां0 विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
- 3 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यां0 विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छ0ग0।
- 4 कलेक्टर, जिला — सरगुजा छ0ग0।
- 5 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र — बिलासपुर, छ0ग0।
- 6 अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल — सरगुजा / बिलासपुर, छ0ग0।
- 7 श्री एस.पी. मंडावी,, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड — अंबिकापुर।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 8 आर्डर बुक।


अवर सचिव 19-07-24

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

--: आदेश :-

नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2024


क्रमांक एफ 7-9 / 2024 / 34-2 :: श्री जे.एल. महला, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- सुकमा द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग किये जाने के कारण श्री जे.एल. महला, का उक्त आचरण गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का घोटक है।

2/ अतएव राज्य शासन एतद्वारा श्री जे.एल. महला, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड- सुकमा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

3/ निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल- जगदलपुर नियत किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(टी.आर. भतपहरी) 19-07-24
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्रमांक एफ 7-9 / 2024 / 34-2
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 19/07/2024

- 1 विशेष सहायक, मान. मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
- 2 सचिव, छ0ग0 शासन, लोक स्वा0 यां0 विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, छ0ग0।
- 3 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यां0 विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छ0ग0।
- 4 कलेक्टर, जिला - सुकमा छ0ग0।
- 5 मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, परिक्षेत्र - जगदलपुर, छ0ग0।
- 6 अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, मण्डल - कोण्डागांव/जगदलपुर, छ0ग0।
- 7 श्री जे.एल. महला, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड - सुकमा।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 8 आर्डर बुक।


अवर सचिव 19.07.24
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग